तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2004 / 4345 / जोधपुर** **मंगलाराम बनाम लक्ष्मणराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :-

श्री एस. पी. सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 14 अक्टूबर, 2020

निर्णय

1- यह निगरानी अन्तर्गत धारा-230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विद्वान उपखण्ड अधिकारी, औसियां जिला जोधपुर के निर्णय दिनांक 13-9-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम गोपासरिया तहसील औसिंया में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर-68 रकबा 79 बीघा 5 बिस्वा प्रार्थी मंगलाराम व अप्रार्थी संख्या-1, 2 व 4 (लक्ष्मणराम, लखाराम व धन्नाराम) की संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी की भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण वादीगण (मंगलाराम व धन्नाराम) तथा अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण (लक्ष्मणराम व लखाराम) का बहिस्सा 1/4, 1/4 है। जिसके मुताबिक प्रार्थी मंगलाराम व अप्रार्थी संख्या-4 धन्नाराम अपने 1/4 हिस्से के मुताबिक 19 बीघा 16 बिस्वा रकबा पर पारिवारिक बंटवारा के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु आराजी मुतनाजा कर्ता खानदान के कारण अप्रार्थी संख्या-1 व 2 के पिता के नाम दर्ज हो गयी जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने लगे। जिसके विरूद्ध एक राजस्व वाद धारा-53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, औसियां के न्यायालय में पेश किया एवं इसके साथ एक स्थाई निषेधाज्ञा बाबत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें मौका कमिशनर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2004 / 4345 / जोधपुर</u>** **मंगलाराम बनाम लक्ष्मणराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु नायब तहसीलदार तिंवरी को नियुक्त किया जिन्होंने प्रार्थीगण को इतला किये बिना अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण के साथ सांठ-गांठ करके एक तरफा मौका रिपोर्ट दिनांक 10-9-2004 को तैयार की जिसके बाबत प्रार्थी वादीगण ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश करके पुनः दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करने की प्रार्थना की, जिसको विद्वान उपखण्ड अधिकारी, औसिंया ने अपने आदेश दिनांक 13-9-2004 के द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। 4- प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-9-2004 कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड के एकदम विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि ग्राम गोपासरिया तहसील औसिंया में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर-68 रकबा 79 बीघा 5 बिस्वा प्रार्थीगण वादीगण एवं अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी की भूमि है जिसमें उनका 1/4, 1/4 हिस्सा है। जिस पर पारिवारिक बंटवारा के मुताबिक अपने 1/4 हिस्से यानि 19 बीघा 16 बिस्वा रकबा के चारों तरफ तारबन्दी कर रखी है एवं उसमें रहवासी ढाणियां बना रखी है। जिसमें रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु मौका कमिशनर नायब तहसीलदार तिंवरी ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी जबकि उन्होंने मौका रिपोट दिनांक 10-9-2004 दोनों पक्षों की अनुपस्थिति में एकतरफा तैयार की। इस महत्वपूर्ण बिन्दू को नजरअंदाज कर विद्धान उपखण्ड अधिकारी, औसिंया ने जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विद्धान उपखण्ड अधिकारी, औसिंया द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-9-2004 निरस्त किया जाकर एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2004 / 4345 / जोधपुर</u>** **मंगलाराम बनाम लक्ष्मणराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, औसिंया को निर्देशित करें कि वे उभयपक्षों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार की जाये। 5- अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि प्रार्थी मंगलाराम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये विद्वान उपखण्ड अधिकारी, औसिंया के आदेश पर नायब तहसीलदार, तिवंरी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया था और नायब तहसीलदार, तिवंरी दिनांक 10-9-2004 को पटवारी हल्का के साथ मौके पर गये और उभयपक्षों एवं मौतबिरान की मौजूदगी में उन्होंने मौका देखा। मौके पर मंगलाराम स्वयं उपस्थित था। मौका पर्चा पर उसके हस्ताक्षर अंकित हैं। उसके पश्चात मंगलाराम ने मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रकट करते हुये एक प्रार्थना पत्र विद्वान उपखण्ड अधिकारी, औसिंया में प्रस्तुत किया जो कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, औसिंया ने अपने निर्णय दिनांक 3-9-2004 के द्वारा सही ढंग से खारिज किया है। निगरानी में कोई सारभूत तथ्य नहीं होने के कारण निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। 6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। 7- पत्रावली का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, औसिंया ने दिनांक 31-8-2004 को मौका कमिश्नर नियुक्त करने बाबत निगराकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये नायब तहसीलदार तिंवरी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर दिया और दोनों पक्षकारों को दिनांक 4-9-2004 को प्रातः 11 बजे मौके पर उपस्थित होने हेतु आदेशित किया। दिनांक 4-9-2004 को मौका कमिश्नर मौके पर नहीं जा पाये थे, लेकिन दिनांक 10-9-2004 को मौका कमिश्नर मौके पर पटवारी हल्का एवं उभयपक्षों के साथ साथ मौतबिरान सहित मौके पर पहुंचे और इसका उल्लेख उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी किया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2004 / 4345 / जोधपुर** **मंगलाराम बनाम लक्ष्मणराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रिपोर्ट में अंकित किया है कि **''पटवारी हल्का मांडियाईकलां को साथ लेकर ग्राम गोपासरिया के विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर–68 का मौका मुआयना पक्षकार मंगलाराम, धन्नाराम एवं मौतबिरान के रूबरू किया गया। संलग्न नजरी मानचित्र मार्क बिन्दु A, B, C,D पर अपना कब्जा बताते हैं।''** इस मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि दिनांक 10–9–2004 को मंगलाराम वगैरहा मौके पर मौजूद थे और रिपोर्ट में मंगलाराम के हस्ताक्षर भी हैं। 8– निगराकार के अभिभाषक का यह कथन कि मंगलाराम हस्ताक्षर करना नहीं जानता है, बल्कि अंगूठा ही लगाता है, इसलिये मान्य नहीं है क्योंकि दिनांक 26–7–2004 को तैयार की गई फर्द सीमा ज्ञान रिपोर्ट पर भी मंगलाराम के हस्ताक्षर हैं तथा पुलिस में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12–7–2004 में प्रस्तुत किये गये चालान पर भी मंगलाराम के हस्ताक्षर हैं। निगरानीकार को विचारण न्यायालय विद्धान उपखण्ड अधिकारी, औसिंया ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पर सुना और सुनने के पश्चात निर्णय दिनांक 13–9–2004 पारित किया है जो पूर्णतया विधिसम्मत, तर्कसंगत एवं न्यायसंगत है। 9– फलतः यह निगरानी सारहीन व बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2004 / 4345 / जोधपुर</u>** **मंगलाराम बनाम लक्ष्मणराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए